रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18072022-237335
CG-DL-E-18072022-237335

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 360] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 18, 2022/आषाढ़ 27, 1944
No. 360] NEW DELHI, MONDAY, JULY 18, 2022/ASHADHA 27, 1944

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2022

फा. सं. 1-27/2021 (डीईबी-I).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 12 के खंड (ञ) के साथ पठित धारा 26 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसके द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत : -

1. **लघु शीर्षक और प्रारंभ:-** (1) इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) द्वितीय संशोधन विनियम, 2022 कहा जाएगा ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 (यहां मूल विनियम के रूप में संदर्भित) में, विनियम 4 के खंड (ग) में, उप-खंड (iv) में, मद (क) के बाद, निम्नलिखित परंतुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, नामत:-

"बशर्ते कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त या अधिकृत ऑनलाइन कार्यक्रमों में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय शिक्षार्थियों के प्रवेश के लिए, उनके निवास देश का कोई भी तस्वीर युक्त राष्ट्रीय पहचान पत्र, प्रमाणीकरण के लिए स्वीकार्य होगा।"

3. उक्त मूल विनियमों में, विनियम 13 में, खंड (ग) में, उप-खंड (4) में, मद (ii) के बाद, निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामत:-

"बशर्ते कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त या अधिकृत ऑनलाइन कार्यक्रमों में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय शिक्षार्थियों के प्रवेश के लिए, उनके निवास देश का कोई भी तस्वीर युक्त राष्ट्रीय पहचान पत्र, प्रमाणीकरण के लिए स्वीकार्य होगा।"

4. उक्त मूल विनियमों में, विनियम 14 में, खंड (2) में, उप-खंड (v) में, मद (क) के बाद, निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामत:-

"बशर्ते कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त या अधिकृत ऑनलाइन कार्यक्रमों में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय शिक्षार्थियों के प्रवेश के लिए, उनके निवास देश का कोई भी तस्वीर युक्त राष्ट्रीय पहचान पत्र, प्रमाणीकरण के लिए स्वीकार्य होगा।"

5. उक्त मूल विनियमों में, विनियम 15 में, खंड (ग) में, उप-खंड (3) के बाद, निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामत:-

"बशर्ते कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त या अधिकृत ऑनलाइन कार्यक्रमों में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय शिक्षार्थियों के प्रवेश के लिए, उनके निवास देश का कोई भी तस्वीर युक्त राष्ट्रीय पहचान पत्र, प्रमाणीकरण के लिए स्वीकार्य होगा।"

6. उक्त मूल विनियमों में, अनुलग्नक II, में अनुच्छेद I में, उप- अनुच्छेद (ख) में, खंड 2 के बाद, निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामत: -

"बशर्ते कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त या अधिकृत ऑनलाइन कार्यक्रमों में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय शिक्षार्थियों के प्रवेश के लिए, उनके निवास देश का कोई भी तस्वीर युक्त राष्ट्रीय पहचान पत्र, प्रमाणीकरण के लिए स्वीकार्य होगा।"

रजनीश जैन, सचिव (यूजीसी)

[विज्ञापन III/4/असा./183/2022-23]

नोट : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 में मि.सं.1-1/2020 (डीईबी-I) दिनांक 4 सितंबर, 2020 के अंतर्गत प्रकाशित किए गए थे तथा संशोधित अधिसूचना मि.सं.1-10/2020 (डीईबी-I) दिनांक 1 जुलाई, 2021 के अन्तर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 में अधिसूचित किए गये थे ।

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2022

F. No. 1-27/2021 (DEB-I). —In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 26 read with clause (j) of section 12 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) with the previous approval of Central Government, the University Grants Commission hereby makes the following regulations to amend the University Grants Commission (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations, 2020, namely:-

1. **Short title and commencement**. - (1) These regulations may be called the University Grants Commission (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Second Amendment Regulations, 2022.

   (2) It shall come into the force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the University Grants Commission (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations, 2020 (herein referred as the principal regulations), in regulation 4, in clause (C), in sub-clause (iv) after item (a), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that for admission of foreign or international learners through the Ministry of External Affairs, Government of India, in UGC recognised or entitled online programmes, any national identity with photograph of their country of residence shall also be acceptable for authentication";

3. In the principal regulations, in regulation 13, in clause (C), in sub-clause (4), after item (ii), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that for admission of foreign or international learners through the Ministry of External Affairs, Government of India, in UGC recognised or entitled online programmes, any national identity with photograph of their country of residence shall also be acceptable for authentication".

4. In the principal regulations, in regulation 14, in clause (2), in sub-clause (v), after item (a), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that for admission of foreign or international learners through the Ministry of External Affairs, Government of India, in UGC recognised or entitled online programmes, any national identity with photograph of their country of residence shall also be acceptable for authentication";

5. In the principal regulations, in regulation 15, in clause (C), after sub-clause (3), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that for admission of foreign or international learners through the Ministry of External Affairs, Government of India, in UGC recognised or entitled online programmes, any national identity with photograph of their country of residence shall also be acceptable for authentication".

6. In the principal regulations, in Annexure II, in paragraph I, in sub-paragraph B, after clause 2, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that for admission of foreign or international learners through the Ministry of External Affairs, Government of India, in UGC recognised or entitled online programmes, any national identity with photograph of their country of residence shall also be acceptable for authentication".

RAJNISH JAIN, Secy. (UGC)

[ADVT.-III/4/Exty./183/2022-23]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4 vide F. No. 1-1/2020 (DEB-I) dated the 4th September, 2020 and amended vide notification No. F. No. 1-10/2020 (DEB-I) dated the 1st July, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4 dated the 1st July, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM